भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1082

दिनांक 24 जुलाई , 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कैंसर को एक अधिसूचित बीमारी के रूप में घोषित किया जाना

†1082. डॉ. मल्लू रवि:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कैंसर के बढ़ते बोझ को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर कैंसर को एक अधिसूचित बीमारी घोषित करने के प्रस्ताव की जांच की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और अन्य विशेषज्ञ निकायों की सिफारिशों पर विचार किया है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने तेलंगाना सहित उन राज्यों के अनुभव की समीक्षा की है जिन्होंने कैंसर को एक अधिसूचित बीमारी के रूप में अधिसूचित किया है और इसके क्या परिणाम रहे;

(घ) क्या सरकार का कैंसर निगरानी, योजना और शीघ्र उपचार को सुदृढ़ करने के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रव्यापी अनिवार्य कैंसर सूचना तंत्र स्थापित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और समय-सीमा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ) रोगों की अधिसूचना का प्राथमिक उद्देश्य मामलों की जाँच, संपर्क अनुरेखण, पृथक्करण और प्रकोप नियंत्रण जैसी त्वरित जन-स्वास्थ्य कार्रवाई को सुगम बनाना है। ऐसी अधिसूचना प्रणालियाँ उन संक्रामक रोगों और अन्य जन-स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए बनाई गई हैं, जिनमें तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक होता है।

कैंसर एक गैर-संचारी तथा गैर-संक्रामक रोग है। अतः, कैंसर के प्रत्येक व्यक्तिगत मामले की अनिवार्य अधिसूचना उन जन-स्वास्थ्य उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करती, जिनके लिए वैधानिक अधिसूचना प्रणालियाँ विकसित की गई हैं।

देश में कैंसर की निगरानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम (एनसीआरपी) के माध्यम से की जाती है, जिसमें जनसंख्या-आधारित कैंसर रजिस्ट्रियाँ (पीबीसीआर) तथा अस्पताल-आधारित कैंसर रजिस्ट्रियाँ (एचबीसीआर) शामिल हैं। ये रजिस्ट्रियाँ साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण, कार्यक्रम नियोजन तथा संसाधनों के प्रभावी आवंटन में सहायता हेतु कैंसर की घटनाओं, व्यापकता, मृत्यु-दर, जीवित रहने की दर तथा उपचार परिणामों से संबंधित मानकीकृत एवं गुणवत्ता-सुनिश्चित करने वाले आँकड़े एकत्रित करती हैं। रजिस्ट्री-आधारित निगरानी, कैंसर जैसे गैर-संचारी रोगों की निगरानी के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत पद्धति है।

स्वास्थ्य, राज्य का विषय होने के कारण, जन-स्वास्थ्य कानूनों के अंतर्गत रोगों की अधिसूचना की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने-अपने जन-स्वास्थ्य ढाँचे के अंतर्गत कैंसर को अधिसूचित रोग घोषित किया है। केंद्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी मार्गदर्शन, राष्ट्रीय कार्यक्रमों तथा वित्तीय सहायता के माध्यम से सहयोग प्रदान करती है।

सरकार राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम (एनसीआरपी), राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के अंतर्गत राष्ट्रीय एनसीडी पोर्टल तथा डिजिटल स्वास्थ्य पहलों के माध्यम से कैंसर निगरानी प्रणाली को निरंतर सुदृढ़ कर रही है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद–राष्ट्रीय रोग सूचना विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र (आईसीएमआर–एनसीडीआईआर) अस्पताल सूचना प्रणालियों, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) तथा मृत्यु-पंजीकरण डेटाबेस के साथ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) आधारित एकीकरण सहित प्रौद्योगिकी-सक्षम तंत्र भी विकसित कर रहा है, ताकि संरचित कैंसर आँकड़ों का सुरक्षित एवं स्वचालित संग्रह सुनिश्चित किया जा सके तथा राष्ट्रीय कैंसर निगरानी की प्रतिनिधित्व क्षमता और गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।
